(186)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–शिवपुरी निग–2804–II16

1. परसू पुत्र निरपा आदिवासी
2. दुज्जो पुत्री निरपा आदिवासी
निवासी जालमपुर, तहसील
खनियाधाना, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर
जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

-- अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/2015–16/अ–21/(1) में पारित आदेश दिनांक 03.08.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है, अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश एवं कार्यवाही की गयी है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम जालमपुर सर्वे नं. 508 में से हिस्सा 1/3 आवेदक क्रमांक 1 एवं सर्वे नं. 488, 490, 491, 492, 508 एवं 575 किता 6, रकवा 2.06 है0 में से हिस्सा 1/3 आवेदिका क्रमांक 2 को सम्पूर्ण भाग की भूमि विक्रय हेतु आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि आवेदकगण के पास ग्राम गोलाकोट एवं लखनपुरा में कृषि भूमि है, जिसको उपजाऊ बनायेगा और नई तकनीकी से फसल उपजेगा, जिससे आवेदकगण को काफी लाभ होगा। ग्राम जालमपुर में स्थित उपरोक्त भूमि की दूरी ज्यादा होने से देखरेख में परेशानी उत्पन्न होती है, जिसके कारण भूमि में लाभ के स्थान हानि होती है। उक्त भूमि के विक्रय से आवेदकगण भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आयेगें क्योंकि आवेदकगण के पास

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2804/एक/2016 जिला–शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
21.9.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 23/2015–16 /अ–21(1) में पारित आदेश दिनांक 03.08.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण द्वारा ग्राम जालमपुर सर्वे नं. 508 में से हिस्सा 1/3 आवेदक क्रमांक 1 एवं सर्वे नं.488, 490, 491, 492, 508 एवं 575 किता 6, रकवा 2.06 है0 में से हिस्सा 1/3 आवेदिका क्र. 2 को सम्पूर्ण भाग की भूमि विक्रय हेतु आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि आवेदकगण के पास ग्राम गोलाकोट एवं लखनपुरा में कृषि भूमि है, जिसको उपजाऊ बनायेगा और नई तकनीकी से फसल उपजेगा, जिससे आवेदकगण को काफी लाभ होगा। ग्राम जालमपुर में स्थित उपरोक्त भूमि की दूरी ज्यादा होने से देखरेख में परेशानी उत्पन्न होती है, जिसके कारण भूमि में लाभ के स्थान हानि होती है। उक्त भूमि के विक्रय से आवेदकगण भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आयेगें क्योंकि आवेदकगण के पास अन्य कृषि भूमि है। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। किन्तु उनके द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विचार किये बिना प्रकरण में जो कार्यवाही की गयी है वह विधिवत् नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। कलेक्टर, जिला शिवपुरी के इसी आदेश के	

विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।

3– आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया था। आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम जालमपुर सर्वे नं. 508 में से हिस्सा 1/3 आवेदक क्रमांक 1, सर्वे नं. 488, 490, 491, 492, 508 एवं 575 किता 6, रकवा 2.06 है0 में से हिस्सा 1/3 आवेदक क्रमांक 2 को सम्पूर्ण भाग की भूमि विक्रय हेतु आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि आवेदकगण के पास ग्राम गोलाकोट एवं लखनपुरा में कृषि भूमि है, जिसको उपजाऊ बनायेगा और नई तकनीकी से फसल उपजेगा, जिससे आवेदकगण को काफी लाभ होगा। ग्राम जालमपुर में स्थित उपरोक्त भूमि की दूरी ज्यादा होने से देखरेख में परेशानी उत्पन्न होती है, जिसके कारण भूमि में लाभ के स्थान हानि होती है। उक्त भूमि के विक्रय से आवेदकगण भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आयेगें क्योंकि आवेदकगण के पास अन्य कृषि भूमि है। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। कलेक्टर, जिला शिवपुरी को उपरोक्त कारणों पर विधिवत् विचार कर भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी किन्तु उनके द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विचार किये बिना प्रकरण में जो कार्यवाही की गयी है वह विधिवत् नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4– अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया, इसलिए वर्तमान निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है, अतः इसी आधार पर समाप्त किये जाने योग्य है।

5– विद्वान अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम जालमपुर सर्वे नं.

508 में से हिस्सा 1/3 आवेदक क्रमांक 1, सर्वे नं. 488, 490, 491, 492, 508 एवं 575 किता 6, रकवा 2.06 है0 में से हिस्सा 1/3 आवेदक क्रमांक 2 को सम्पूर्ण भाग की भूमि विक्रय हेतु आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि आवेदकगण के पास ग्राम गोलाकोट एवं लखनपुरा में कृषि भूमि है, जिसको उपजाऊ बनायेगा और नई तकनीकी से फसल उपजेगा, जिससे आवेदकगण को काफी लाभ होगा। ग्राम जालमपुर में स्थित उपरोक्त भूमि की दूरी ज्यादा होने से देखरेख में परेशानी उत्पन्न होती है, जिसके कारण भूमि में लाभ के स्थान हानि होती है। उक्त भूमि के विक्रय से आवेदकगण भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आयेगें क्योंकि आवेदकगण के पास अन्य कृषि भूमि है। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिए थी क्योंकि आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन सद्भावना पर आधारित था तथा उसके साथ किसी भी प्रकार का छलकपट नहीं किया जा रहा था, ऐसी स्थिति में कलेक्टर, जिला शिवुपरी द्वारा आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह विधिवत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2016 अपास्त किया जाकर आवेदकगण को ग्राम जालमपुर, तहसील खनियॉधाना में स्थित भूमि सर्वे नं. 508 रकवा 0.32 है0, में से हिस्सा 1/3 आवेदक क्रमांक 1 को एवं भूमि सर्वे नं. सर्वे नं. 508 में से हिस्सा 1/3 आवेदक क्रमांक 1, सर्वे नं. 488, 490, 491, 492, 508 एवं 575 किता 6, रकवा 2.06 है0 में से हिस्सा 1/3 आवेदिका क्रमांक 2 को भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दी जाती है।

सदस्य